



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14122022-241056
CG-DL-E-14122022-241056

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 645]
No. 645]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 2022/अग्रहायण 22, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 2022/AGRAHAYANA 22, 1944

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

फा. सं. क्यूए-12013/7/2021-क्यूए-एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 43 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 12 जनवरी, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 97 (अ), दिनांक 10 जनवरी, 2017 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. सारणी-1 में, क्रम संख्या 2 के सामने, कालम (2) में, (iii) के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

अभिनिर्देश खाद्य प्रयोगशाला का नाम
(2)
“(iv) निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, चेन्नई पंजीकरण सं. 24/आर/एफएसएसएआई/2022 2 फ्लोर उत्तर विंग और 3 फ्लोर, केंद्रीय प्रलेखन परिसर, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट बिल्डिंग, राजाजी सलाई, चेन्नई – 600001”

2. सारणी-1 में, क्रम संख्या 3 के सामने, कालम (2) में, (iii) के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

अभिनिर्देश खाद्य प्रयोगशाला का नाम
(2)
“(iv) निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, चेन्नई पंजीकरण सं. 24/आर/एफएसएसएआई/2022 2 फ्लोर उत्तर विंग और 3 फ्लोर, केंद्रीय प्रलेखन परिसर, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट बिल्डिंग, राजाजी सलाई, चेन्नई – 600001”

एस गोपालकृष्णन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
[विज्ञापन-III/4/असा./464/2022-23]

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 97(अ), दिनांक 10 जनवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित हुई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित की गई थी:

1. का.आ. 3695 (अ), दिनांक 20 नवम्बर, 2017;
2. का.आ. 3827 (अ), दिनांक 31 जुलाई, 2018;
3. का.आ. 696 (अ), दिनांक 31 जनवरी, 2019;
4. का.आ. 1137 (अ), दिनांक 21 फरवरी, 2019;
5. फा. सं. 12013/01/2019-क्यूए, दिनांक 10 फरवरी, 2021;
6. फा. सं. क्यूए-12013/7/2021-क्यूए-एफएसएसएआई, दिनांक 15 फरवरी, 2022; और
7. फा. सं. क्यूए-12013/7/2021-क्यूए-एफएसएसएआई, दिनांक 18 अक्टूबर, 2022।

**FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th December, 2022

F. No. QA-12013/7/2021-QA-FSSAI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. 97(E) dated the 10th January, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) on 12th January, 2017, namely: -

1. In TABLE- 1, against serial number 2, in column (2), after (iii), the following entries shall be inserted, namely, -

Name of the Referral Food Laboratory
(2)
“(iv) Director, National Food Laboratory, Chennai Reg. No. 24/R/FSSAI/2022 2 nd Floor North Wing & 3 rd Floor, Central Documentation Complex, Chennai Port Trust Building, Rajaji Salai, Chennai - 600001”

2. In TABLE- 1, against serial number 3, in column (2), after (iii), the following entries shall be inserted, namely, -

Name of the Referral Food Laboratory
(2)
“(iv) Director, National Food Laboratory, Chennai Reg. No. 24/R/FSSAI/2022 2 nd Floor North Wing & 3 rd Floor, Central Documentation Complex, Chennai Port Trust Building, Rajaji Salai, Chennai - 600001”

S. GOPALAKRISHNAN, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./464/2022-23]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), *vide* S.O. number 97 (E), dated the 10th January, 2017 and subsequently amended *vide* notification numbers:

1. S.O. number 3695(E), dated the 20th November, 2017;
2. S.O. number 3827(E), dated the 31st July, 2018;
3. S.O. number 696(E), dated the 31st January, 2019;
4. S.O. number 1137(E), dated the 21st February, 2019;
5. F. No. 12013/01/2019-QA, dated the 10th February 2021;
6. F. No. QA-12013/7/2021-QA-FSSAI, dated the 15th February, 2022; and
7. F. No. QA-12013/7/2021-QA-FSSAI, dated the 18th October, 2022.